प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 379/2022 दिनांक – 22/9/2022

2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7

(ब) अधिनियम – .... धाराये – .....

(स) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(द) अन्य अधिनियम – धाराये – 120 बी आईपीसी

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – ..... समय – 6:25 P.M

ब. अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 21.09.2022 समय – 06.43 पी.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 09.08.2022 समय – 11.00 ए.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पश्चिम 3 किलोमीटर लगभग

(ब) पता:–रेल्वे लाईन के पास, 7 सेक्टर जोधपुर

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री हरेन्द्र गुर्जर (ब) पिता/पति का नाम – श्री देवाराम

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 33 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – नौकरी (र) पता – 37,रामदेव चौक भगत की कोठी जोधपुर ।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

1. श्री राजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री जीवनराम जाति गुर्जर उम्र 38 साल पेशा नौकरी निवासी 6ए/167 के.के कॉलोनी बासनी जोधपुर हाल कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (वेलफेयर इन्सपेक्टर,) कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक जोधपुर
2. श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 52 साल पेशा नौकरी निवासी देवनारायण मन्दिर के पीछे प्लाट न.41 द्वितिय गली भगत की कोठी जोधपुर हाल वरिष्ठ तकनीशियन (क्रेन जमादार) रेलवे डीजल शेड, भगत की कोठी जोधपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 3,35,000/– रू.**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवा में

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

स्पेशल युनिट, जोधपुर।

विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि मैं हरेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री देवाराम जी उम्र 33 वर्ष निवासी 37 रामदेव चौक भगत की कोठी जोधपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं तकनीकीशियन(डी) भगत की कोठी में रेल्वे विभाग में कार्यरत हूँ, मुझे पिछले दो वर्षो से कमर में दर्द था उसके पश्चात मैनें ऑपरेशन करवाया उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी रीढ़ की हड्डी में टी0बी0 है इस दौरान मैं करीब 1 वर्ष से ज्यादा मेडिकल पर रहा। चिकित्सक द्वारा मेरी बीमारी को देखते हुए मुझे वर्तमान ड्यूटी से हटकर अन्य श्रेणी की ड्यूटी करने व चिकित्सक द्वारा मेरे विभाग को अन्य श्रेणी की ड्युटी आवंटन करने हेतु लिखा गया । मेडिकल बोर्ड की राय पर मेरी ड्युटी श्रेणी परिवर्तन करने की पत्रावली वरिष्ट मण्डल यांत्रिक अभियन्ता (डी) द्वारा वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी को प्रेषित की गई। इस कार्यालय मे कार्यरत श्री राजेन्द्र गुर्जर वेल्फेयर इसपेक्टर ने मेरी पत्रावली मे आगे विधिक कार्यवाही करने के एवज मे मुझे अपने कार्यालय बुलाकर पांच लाख रूपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 05.08.22 को श्री राजेन्द्र गुर्जर वेल्फेयर इसपेक्टर ने मेरे घर आकर मुझे धमकाया की पांच लाख रूपये रिश्वत के नही दोगें तो तुम्हारी ड्युटी श्रेणी बदलने वाली पत्रावली पर तुमे ग्रेड पे निम्न स्तर चपरासी का पद आवंटन करा दुगां मेरे द्वारा बार बार प्रार्थना करने के बावजुद भी मेरी पत्रावली रिश्वत नही देने के कारण अटका रखी है। श्री राजेन्द्र गुर्जर वेल्फेयर इंसपेक्टर अपने एजेन्ट नन्दकिशोर टेक्नीशियन के मार्फत रिश्वति राशि लेना चाह रहा है। श्रीमान मैं मेरे विधिक कार्य करवाने के एवज मे राजेन्द्र गुर्जर वेल्फेयर इसपेक्टर व नन्द किशोर टेक्नीशियन रेल्वे विभाग को रिश्वत नही देना चाहता हु। बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हुँ। मेरी राजेन्द्र गुर्जर वेल्फेयर इन्स्पेक्टर व नन्दकिशोर टेक्नीशियन से कोई दुश्मनी नही है एवम_ना ही कोई व्यक्तिगत लेने देन बकाया है। कानुनी कार्यवाही करावे। प्रार्थना पत्र के साथ मेरा परिचय पत्र की फोटो प्रति दे रहा हुँ।

भवदीय

एस.डी/

(हरेन्द्र गुर्जर)

37 रामदेव चौक, भगत की कोठी,

जोधपुर,मो.न. 9001822197,9602840387

एसडी (प्रतीक शर्मा) 21/09/2022	एसडी (रमेशचन्द्र) 21/09/2022	एसडी (हरेन्द्र गुर्जर) 9/8/22	एसडी (डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित) अति. पुलिस अधीक्षक 9/8/2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 09.08.2022 समय 11.00 ए.एम.

इस समय परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री देवाराम जाति गुर्जर उम्र 33 वर्ष निवासी 37 रामदेव चौक भगत की कोठी, जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित होकर मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " मैं वर्तमान में तकनिशीयन (डी.) के पद पर रेलवे डीजल शेड भगत की कोठी में कार्यरत हूँ, मुझे पिछले 2 वर्षों से रीड की हड्डी में टी.बी. हो जाने कि वजह से 2 बार ऑपरेशन करवाना पड़ा जिस दौरान 1 वर्ष से ज्यादा मेडिकल पर रहा। चिकित्सक द्वारा मेरी बीमारी को देखते हुए मुझे वर्तमान ड्यूटी से हटकर अन्य श्रेणी की ड्यूटी करने व चिकित्सक द्वारा मेरे विभाग को अन्य श्रेणी की ड्यूटी आवंटन करने हेतु लिखा गया। मेडीकल बोर्ड की राय पर मेरी ड्यूटी श्रेणी परिवर्तन करने की पत्रावली वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियंता (डी) द्वारा वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी को प्रेषित की गई। इस कार्यालय में कार्यरत श्री राजेन्द्र गुर्जर, वेल्फेयर इन्सपेक्टर ने मेरी पत्रावली मैं आगे विधिक कार्यवाही करने की एवज में मुझे अपने कार्यालय बुलाकर 5 लाख रूपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 05.08.2022 को श्री राजेन्द्र गुर्जर वेल्फेयर इन्सपेक्टर मेरे घर आकर मुझे धमकाया कि 5 लाख रूपये रिश्वत के नहीं दोगे तो तुम्हारी ड्यूटी श्रेणी बदलने वाली पत्रावली पर तुम्हे ग्रेड पे निम्न स्तर चपरासी का पद आवंटन करवा दुंगा। मेरे द्वारा बार–बार प्रार्थना करने के बावजुद भी मेरी पत्रावली रिश्वत नहीं देने के कारण अटका रखी है। श्रीमान मैं मेरे विधिक कार्य करने के एवज में श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्संपेक्टर रेल्वे विभाग को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री राजेन्द्र गुर्जर से कोई दुश्मनी नहीं है एवं ना ही कोई व्यक्तिगत लेने देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही कारावे। प्रार्थना पत्र के साथ मेरा परिचय पत्र की फोटो प्रति दे रहा हूँ।" साथ ही दरियाफ्त पर बताया कि श्री राजेन्द्र गुंर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर व इनका सहयोगी श्री नन्दकिशोर टेक्नीशियन रेलवे के अधिकारियों के लिये दलाली करते कोई भी काम बिना पैसे नहीं होने देते तथा ना ही अपने जायज काम के लिये अधिकारियों के मिलने देते है। यह दोनो लोग ही पैसे देकर काम करवाते है। परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर की लिखित रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को कार्यालय के डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई तथा श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 का परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया व श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 व परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नम्बर आपस में आदान–प्रदान करवाये गये। साथ ही परिवादी ने बताया कि श्री राजेन्द्र गुर्जर आज बाहर गया हुआ है व कार्यालय में नहीं मिलेगा इसलिये परिवादी को हिदायत की गई जब भी श्री राजेन्द्र गुर्जर कार्यालय में उपस्थित हो शीघ्र इस कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करे। तत्पश्चात् परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को दिनांक 10.08.2022 को कार्यालय समय पर उपस्थित आने व कार्यवाही की गोपनियता रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। दिनांक 10.08.2022 वक्त 11.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया जिस पर श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 का परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर से पुनः परिचय करवाया गया व कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को कार्यालय के डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि पुनः समझाईश की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नं. 9001822197 से स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नं. 9462617007 पर वार्ता करवाकर श्री राजेन्द्र गुर्जर की उपस्थिति के बारे में पुछा गया उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। जिसमें परिवादी द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर की उपस्थिति बाबत पुछने पर श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर द्वारा डीआरएम कार्यालय जोधपुर में होना बताया। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया एवं वक्त 11.55 ए.एम. पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर डीआरएम कार्यालय जोधपुर से सम्पर्क कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर एवं श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 को परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से डीआरएम कार्यालय जोधपुर के लिए रवाना किया गया। उसी रोज वक्त 12.25 पी.एम. पर श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 एवं परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से डीआरएम कार्यालय जोधपुर से कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री रामचन्द्र सिह कानि. नं. 432 ने स्वीच ऑफ शुदा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर ने बताया कि हम दोनों यहां से मेरी निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर डीआरएम कार्यालय जोधपुर के पास पहुंचे जहां पर श्री

रामचन्द्र सिह कानि. ने मुझे आवश्यक हिदायत देकर अपने साथ लाये डिजीटल वॉयस टेप रिकार्डर स्वीच ऑन कर मुझे सुपुर्द कर श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर से वार्ता करने हेतु मेरी मोटर साईकिल से डीआरएम कार्यालय जोधपुर के लिये रवाना किया मैं डीआरएम कार्यालय जोधपुर में पहुंचा जहा पर मुझे श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर अपने कार्यालय में उपथित मिले जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर ने मुझसे मेरी मेडीकल बोर्ड की अनुशंसा पर अन्य श्रेणी की ड्यूटी परिवर्तन करने की पत्रावली जो कार्मिक अधिकारी के पास विचाराधीन है में कार्य करवाने एवं फाईल को आगे बढाने की ऐवज में 5,00000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग की मेरे द्वारा कुछ राशि कम करने की विनती की तो श्री राजेन्द्र गुंर्जर 2,50,000/–रूपये लेने के लिए सहमत हुआ तथा उक्त राशि श्री नन्दु को देने को कहा। उक्त वार्ता होने के बाद मै वहा से रवाना होकर श्री रामचन्द्र सिह कानि. के पास पहुचा जिन्होने मेरे से डिजीटल वॉयस टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा उसके बाद हम दोनो मेरी निजी मोटरसाईकिल से डीआरएम कार्यालय जोधपुर से रवाना होकर आपके पास आ गये। उक्त कथनों की ताईद कानि. श्री रामचन्द्रसिंह ने भी की जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर उक्त रिकार्ड रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के उपरोक्त कथनो की ताईद हुई तथा परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर एवं श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में 2,50,000/ रूपयें रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लेकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को रिश्वती राशि की व्यवस्था कर पुनः कार्यालय में उपस्थित आने एवं अब तक की कार्यवाही की गोपनियता रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। उसी रोज वक्त 05.15 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया व परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की मुझसे आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि की व्यवस्था नही हुई है तथा आरोपी अभी अपने कार्यालय में नहीं मिलेगा जिस पर परिवादी को आरोपी के अपने कार्यालय में आने व रिश्वति राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 14.09.2022 को वक्त 03.50 पी. एम. पर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर कार्यालय में उपस्थित आया व बताया कि मेरा संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर से सम्पर्क नहीं हो पाया एवं मेरे से रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हो पाई थी एवं बताया की एक–दो रोज पहले ही श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर को रिश्वति राशि नहीं देने की वजह से मुझे सी श्रेणी से डी श्रेणी (टेक्नीशियन थर्ड/इलेक्ट्रानिशन से हेल्पर) में आदेश करवा दिया है एवं मुझे श्री नन्दकिशोर कह रहा है कि मेरी श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर से बात हो गई है। तुम उसमें अपील करों व पैसों की व्यवस्था करो। मैं तुम्हारा काम साहब से करवा दुंगा एवं परिवादी ने यह भी बताया कि श्री नन्दकिशोर मेरे से रिश्वत राशि के बारे में फोन पर वार्ता कर लेगा। जिस पर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नं. 9602840387 का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल नं. 7976247687 पर वार्ता करवाई गई। वार्ता के दौरान आरोपी श्री नन्दकिशोर द्वारा कहना कि व्यवस्था हो गई क्या। जिस पर परिवादी द्वारा कहना कि मेरे पास 2,35,000/–रूपये रोकड़ है। इस पर सहआरोपी श्री नन्दकिशोर द्वारा अचम्भित हाल में कहना कि 2,35,000/–रूपये का कहा तथा आरोपी श्री नन्दकिशोर ने बताया कि मैं साहब से बात करके बताउंगा। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा तैयार की जायेगी। तत्पश्चात परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को आरोपी नन्दकिशोर दलाल का फोन आने पर तुंरन्त कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया। उसी रोज वक्त 07.20 पी.एम. पर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर उपस्थित आया तथा बताया कि आज मेरे मोबाईल पर आरोपी श्री नन्दकिशोर दलाल का फोन आया तथा उसके द्वारा मांगी गई रिश्वति राशि के बारे में वार्ता की। जिस पर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नं. 9602840387 का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल नं. 7976247687 पर वार्ता करवाई गई। उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। वार्ता के दौरान परिवादी को दलाल श्री नन्दकिशोर ने कहा कि "हो गया जुगाड़" परिवादी द्वारा आरोपी श्री नन्दकिशोर से पुछा गया कि आपकी बात राजेन्द्र जी से हुई है क्या। जिस पर आरोपी श्री नन्दकिशोर ने कहा कि मेरी उनसे वार्ता नहीं हुई है। आज नहीं तो कल बुला लेंगे। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जायेगी। इसके बाद परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को मुनासिब हिदायत कि जब भी श्री नन्दकिशोर सम्पर्क करे तो शीघ्र कार्यालय में उपस्थित आवें एवं कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 15.09.2022 को वक्त वक्त 03.20 पी.एम. पर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर कार्यालय हाजा में उपस्थित आया तथा बताया कि आरोपी श्री नन्दकिशोर दलाल अभी मुझसे बात कर लेगा। जिस पर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नं. 9602840387 का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल नं. 7976247687 पर वार्ता करवाई गई। जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा आरोपी श्री नन्दकिशोर से पुछा गया कि मैं आपके फोन का इन्तजार कर रहा हूं कि आपकी बात राजेन्द्र जी से हुई है क्या। परिवादी ने आरोपी को कहा कि पैसे तैयार पड़े है मैं पैसे आपको दे दुंगा या राजुजी जिसको कहोगे उसको दे दुंगा। तब आरोपी श्री नन्दकिशोर ने कहा ठीक है ठीक है तो परिवादी ने कहा कि

पैसा राजुजी ने आपके हाथ में देने का कहा था। मैं आपको दे दुंगा, आप राजुजी को दे देना। तब आरोपी श्री नन्दकिशोर दलाल ने परिवादी को कहा कि मेरी बात होने पर मैं तुम्हें बता दुंगा तथा आरोपी श्री नन्दकिशोर ने कहा कि इतने में काम नहीं चलेगा रेट हाई चल रही है। आपको पता है रेट तब परिवादी ने कहा कितना पेमेन्ट, तब आरोपी श्री नन्दकिशोर ने कहा फोन पर ऐसी बाते नहीं करता। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जायेगी। तत्पश्चात परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को मुनासिब हिदायत कि जब भी श्री नन्दकिशोर या श्री राजेन्द्र गुर्जर सम्पर्क करे व रिश्वति राशि मंगवाये तथा मांगी गई रिश्वति राशि की व्यवस्था हो जाये तब रिश्वति राशि की व्यवस्था के साथ शीघ्र कार्यालय में उपस्थित आवें ताबाद कार्यालय से रूखस्त किया गया। दिनांक 20.09.2022 वक्त 07.00 पी.एम पर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर ने जरिये वाट्सअप वॉयस कॉल से मुझे अवगत कराया कि श्री नन्दकिशोर आज मुझे मिला तथा उसने कहा कि मेरी श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर से बात हो गई है। तुम्हारे कार्य की ऐवज में 3,50,000/–रूपये तुंम्हें मुझे देने पडेंगे। इससे कम में कोई बात नहीं होगी। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 21.09.2022 को आरोपीगणों को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस एसीबी जोधपुर को निर्देशित किया कि कल सुबह दिनांक 21.09.2022 को वक्त 08.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आवें। दिनांक 21.09.2022 को वक्त 08.00 ए.एम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को मय कार्यालय के ब्यूरो जाब्ता के उच्चाधिकारीयो के निर्देशानुसार गोपनीय कार्यवाही की सहायतार्थ हेतु जोधपुर से बाहर जाना है जिस पर सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन कर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु जरिये फोन श्री मनीष वैष्णव को निर्देशित किया गया। वक्त 08.15 ए.एम पर श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक, एसीबी चौकी जोधपुर शहर से उपस्थित आया जिन्हें परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अब तक की गई कार्यवाही के समस्त हालात बताये एवं साथ परिवादी के मोबाईल नम्बर दिये जाकर हिदायत दी गई कि परिवादी दिन में करीब 02.00 बजे उपस्थित आकर आपसे सम्पर्क करेगा। जिस पर आप अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करें साथ ही कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन आदि वार्ता रिकार्ड हैं सुरक्षित हालात में सम्भलाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार मय ब्यूरो स्टाफ मय सरकारी टवेरा मय चालक श्री खम्माराम के गोपनीय कार्यवाही में सहायतार्थ गोपनीय स्थान सिरोही की तरफ रवाना हुआ। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुपुर्द किये गये श्री हरेन्द्र गुर्जर परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्ड में रिकार्ड परिवादी श्री हरेन्द्र व आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर व श्री नन्दकिशोर की वार्तालाप को सुना गया व अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री गणेशकुमार कानि. 219 को सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम एक तहरीर सुपुर्द कर 02 स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु रवाना किया। कुछ समय पश्चात् श्री गणेशकुमार कानि. 219 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो स्वतन्त्र. गवाहान को लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। जिनको मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर स्वतन्त्र. गवाह का परिचय पुछने पर उन्होने अपना–अपना परिचय श्री प्रतीक शर्मा पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जी शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 32 साल निवासी प्लॉट नम्बर 33, रोड नम्बर प्रथम, शिवशक्ति नगर, महामन्दिर जोधपुर हाल सूचना सहायक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9252993733 तथा दुसरे गवाह ने अपना परिचय श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री मंगलाराम जाति गुर्जर उम्र 32 निवासी प्लाट नं. 143 जगत विहार झालामण्ड जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9602616986 होना बताया। इसी दरम्यान पूर्व से पाबन्दशुदा श्री रामकिशोर हैड कानि. नम्बर 56, श्री छैलाराम कानि. नम्बर 46 व श्री रूपसिह कानि. नम्बर 583 उपस्थित आये एवं परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर भी उपस्थित आया। जिस पर दोनो गवाहान को को परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर द्वारा दिनांक 09.008.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट पढवायी गई। जिस पर गवाहान द्वारा परिवादी से आवश्यक पुछताछ कर ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान नें अपने–अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। साथ ही रिश्वत राशि मांग के मुख्य अंश को भी दोनो गवाहान को मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस के पास रखे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुनवाये गये। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। तत्पश्चात् परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नं. 9602840387 का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल नं. 7976247687 पर वार्ता करवाई गई। वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा श्री नन्दकिशोर को कहा गया कि पैसों की व्यवस्था हो गई है कब लेकर आउं तब श्री नन्दकिशोर द्वारा कहा गया कि "हो गये साढे तीन" जिस पर परिवादी द्वारा हां कहा गया तो आरोपी श्री नन्दकिशोर द्वारा शाम 06.00 बजे बाद फोन करने का कहा। उक्त वार्ता कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल नं. 7976247687 से परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नं. 9602840387 पर कॉल आया जिस पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाई वार्ता के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी की उपस्थिति के सम्बन्ध में पुछते हुए उसकी मदद करने के सम्बन्ध में वार्ता की। तत्पश्चात् वक्त 05.15 पी.एम.दोनों गवाहान के समक्ष मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को संदिग्ध श्री राजेन्द्र गुर्जर के कहेनुसार श्री नन्दु/नन्दकिशोर को रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में दी जानें वाली रिश्वत राशि पेश करनें हेतु कहा तों परिवादी श्री हरेन्द्र

गुर्जर ने अपनें पास से पांच–पांच सौ रूपयें के 70 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 35,000 रूपयें पेश किये एवं शेष रूपयों की व्यवस्था नही होनें सें 03 (तीन) लाख रूपयें जिसमें 500–500 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वालें डमी करेंसी के कुल 568 नोट एवं 2000–2000 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वालें डमी करेंसी के कुल 08 नोट पेश किये जो कुल राशि 03 (तीन) लाख रूपयें (डमी करेंसी) इस प्रकार उक्त रिश्वत राशि कुल 3,35,000 रूपयें (35,000 रूपयें भारतीय मुद्रा एवं 3,00,000 रूपयें डमी करेंसी) पेश किये। उक्त पेश की गई डमी राशि के प्रत्येक नोटों पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किये गये। परिवादी द्वारा उपरोक्त रूबरू गवाहान के मेरे समक्ष पेश किये गये प्रचलित भारतीय मुद्रा के 35,000 रूपयें के नोटों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8FK 715700
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6ST 786067
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6FG 948983
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3BE 448863
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7FE 483062
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3CH 405482
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9MN 094694
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8HC 692755
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7EW 118815
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0WC 672341
11.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0GH 620673
12.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0ER 761852
13.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1KE 811428
14.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9BB 424901
15.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0HF 699830
16.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7LB 582247
17.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8EU 093324
18.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8CU 691577
19.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6ER 958137
20.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8SV 203872
21.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4KB 641911
22.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3KV 558430
23.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4NU 604043
24.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8DD 171971
25.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3AV 727284
26.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7BE 858732
27.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0BE 361507
28.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3AW 850471
29.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3AW 850473
30.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8CF 939305
31.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8DT 982789
32.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2GG 382192
33.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2GG 382193
34.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2GG 382191
35.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2GG 382190
36.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4BA 794094
37.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4BA 794093
38.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9AA 851175
39.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2EG 865396
40.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9VR 956958
41.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0KS 137973
42.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2WD 364248
43.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5DM 131554

44.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8VH 340263
45.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8BK 267297
46.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3GK 781689
47.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3SD 033025
48.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0CF 751481
49.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0DQ 138731
50.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2ES 762939
51.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7SF 955655
52.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3GQ 948864
53.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5HG 899626
54.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4EG 422911
55.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1NS 518758
56.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4NU 100641
57.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6NV 360469
58.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1BD 829413
59.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8TN 568636
60.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7EF 661254
61.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8DU 374283
62.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6RN 776893
63.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3AS 488604
64.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6QS 533766
65.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4FF 164189
66.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1VL 623059
67.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5KB 442679
68.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9PR 278182
69.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4FM 909248
70.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0FH 224763

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त 3,00000/– रूपयें भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वाली डमी करेंसी के 500–500 के डमी करेंसी के कुल 568 नोट एवं 2000–2000 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वालें डमी करेंसी के कुल 08 नोट कुल राशि 3,00000/– रूपयें जिन पर मनोरंजन बैक का खजाना 0AA000000 सभी नोटो पर समान अंकित है जिन पर फनोफथलीन पाउडर लगवानें हेतु श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में कुल 646 नोट, कुल राशि 3,35,000 रूपयें (70 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 576 नोट डमी करेंसी) को एक अखबार पर रखा जाकर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 103 के द्वारा उक्त सभी नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर डमी राशि कुल 576 नोटों को अखबार में लपेटकर अखबार के उपर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगाकर अखबार को धागे से बांधा गया एवं 500–500 रूपयें के 70 नोट कुल 35,000/– रूपयें रबड सें डमी नोटो के बण्डल पर बांधा गया। परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर की जामा तलाशी गवाह श्री प्रतीक शर्मा से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9001822197 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 35,000 व डमी करेंसी 3,00000 रूपयें रूपये जो श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर कार्यालय वरिष्ठ मण्डल कार्मिक रेलवे जोधपुर के कहेनुसार श्री नन्दु/नन्द किशोर को दी जानी है, की राशि को श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 103 से ही परिवादी के पास मौजुद कपड़े की थैली में रखवाया गया। तत्पश्चात गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि को थैली से निकालकर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सुशीला

महिला कानि.103 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि व दृष्टान्त फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से मूर्तिब की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नं. 9602840387 का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल नं. 7976247687 पर वार्ता करवाई जाकर मिलने के स्थान के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने परिवादी को 7th सेक्टर गन्दे नाले एवं रेल्वे ट्रेक के पास रोड़ मिलना तय किया। तत्पश्चात् मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री प्रतीक शर्मा एवं श्री रमेशचन्द्र परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर, जाब्ता श्री रामकिशोर हैड कानि. नं. 56, श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89, श्री मेघराज हैड कानि. नं. 63, श्री रूपसिंह कानि. नं. 583, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री देवाराम कानि. नं. 373, श्री गणेशराम कानि. नं. 219 के सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 यूसी 3352 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह नं. 535 मय दो निजी मोटर साईकिलों से हमराह ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर से 7th सेक्टर जोधपुर की तरफ रवाना होकर पहुंचा। वक्त 06.35 पी.एम. मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आवश्यक समझाईश कर कार्यालय से साथ लाया डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत राशि के आदान प्रदान करने हेतु रवाना किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान ने अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारा का ईन्तजार किया। वक्त 06.43 पी.एम. पर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर ने 7th सेक्टर गन्दे नाले एवं रेल्वे ट्रेक के पास रोड़ पर खड़े होकर पूर्व निर्धारित अपने सिर पर आगे से पीछे की ओर 2–3 बार हाथ फेरकर कर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन् निरीक्षक ने उपरोक्त दोनों गवाहान एवं समस्त ब्यूरो जाब्ता को ईशारा कर साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचा जहां पर पास ही एक व्यक्ति बनियान एवं हाफ पेन्ट पहने अपने हाथों में नोटों का बण्डल लिये हुए खड़ा मिला। जिस पर परिवादी को पूर्व में दिया गया कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया एवं मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त रिश्वति राशि लेन–देन हुई वार्ता जो उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्ड में रिकार्ड है कि आईन्दा फर्द ट्रान्सकिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर ने पास ही राशि का बण्डल हाथों में लिये खड़े व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री नन्दु उर्फ नन्दकिशोर तकनीशियन है जिन्होने अभी–अभी मांग कर तय की गई रिश्वत राशि 3,35,000/–रूपये (35 हजार रूपये भारतीय मुद्रा के नोट तथा 3 लाख के डमी नोट जो अखबार में लपेट कर धागे से बान्द रखे है।) प्राप्त कर अपने ही फोन से स्पीकर ऑन कर वाट्सअप वॉयस कॉल कर श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर से वार्ता कर उनके द्वारा मांगी गई रिश्वति राशि प्राप्त होने की बात की है जो वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हुई है। उक्त श्री नन्दकिशोर द्वारा प्राप्त की गई रिश्वति राशि आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर द्वारा स्वयं आकर लेने की बात कही है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहयान का परिचय देकर परिवादी के पास राशि का बण्डल लिये खड़े व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम नन्दकिशोर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 52 वर्ष पेशा नौकरी निवासी देवनारायण मन्दिर के पीछे प्लाट नं. 41 द्वितीय गली भगत की कोठी जोधपुर हाल टेक्नीशियन (केन जमादार) डीजल शेड, भगत की कोठी जोधपुर होना बताया। जिस पर आरोपी श्री नन्दकिशोर से पास ही खड़े परिवादी की तरफ ईशारा कर उसे पहचानने एवं राशि किस बात की प्राप्त की गई है के बारे में पुछा तो उसने कहा कि उक्त राशि में मेरा कुछ नहीं है तथा मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर दो यह कहते हुए राशि के बण्डल को रोड़ पर फैंक दिया। जिस पर उक्त राशि के बण्डल को स्वतन्त्र गवाह श्री रमेशचन्द्र से आवश्यक हिदायत के साथ उठवाया जाकर तथा आरोपी श्री नन्दकिशोर के दोनो हाथ कलाई के उपर से ब्यूरो जाब्ता से

सुरक्षा की दृष्टि से पकड़वाये गये। उक्त वाका 7जी सेक्टर गन्दे नाले एवं रेल्वे ट्रेक के पास रोड़ पर होने एवं भीड़ एकत्रित हो जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी को सरकारी वाहन में बैठाया जाकर आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर की दस्तयाबी हेतु उच्च अफसरान् को निवेदन कर पूर्व मामूरा टीम को सुचित किया गया। ततपश्चात वहां रवाना होकर मय हमराहयान मय आरोपी के रवाना होकर पास ही स्थित पुलिस थाना भगत की कोठी, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर पहुंचा। जहां उपस्थित थानाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम हाथ धोवन कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के रूबरू आरोपी श्री नन्दकिशोर तकनीशियन के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त साफ कॉच की गिलासो में भगत की कोठी पुलिस थाने के पानी के केम्पर से पीने का साफ पानी बोतल में मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री नन्दकिशोर तकनीशियन के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री नन्दकिशोर तकनीशियन के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात् आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल नं. 7976247687 का स्पीकर ऑन करवाकर आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर के मोबाईल नम्बर 9462617007 पर वार्ता करवाने हेतु बार–बार कॉल करवाया लेकिन आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर ने श्री नन्दकिशोर का फोन रिसीव नहीं किया।

तत्पश्चात् पूर्व में आरोपी श्री नन्दकिशोर द्वारा प्राप्त की गई रिश्वति राशि रोड़ पर फेंकने पर गवाह श्री रमेशचन्द के पास आवश्यक हिदायत के साथ रखवाई राशि को गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 70 नोट कुल राशि 35000/–रूपये एवं उसके साथ ही धागे में बन्दे अखबार के बण्डल में रखे 500–500 भारतीय मुदा जैसें दिखनें वालें डमी करेंसी के कुल 568 नोट तथा 2000–2000 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वालें डमी करेंसी के कुल 08 नोट कुल राशि 3,00000/–(तीन लाख) रूपये डमी नोट होना पाये गये। गवाह श्री प्रतीक शर्मा को पूर्व में मुर्तिबा फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी दी जाकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान गवाह श्री रमेशचन्द्र के पास रखी आरोपी श्री नन्दकिशोर से बरामदा रिश्वति राशि के नोटों से करवाया गया तो हुबहु होना पाये गये।

भारतीय मुद्रा के नोट 35,000/–रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये।

भारतीय मुद्रा के नोट 35,000/–रूपये के अतिरिक्त 3,00,000/– रूपयें भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वाली डमी करेंसी के 500–500 रूपये के कुल 568 नोट एवं 2000–2000 भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वालें डमी करेंसी के कुल 08 नोट कुल राशि 3,00,000/– रूपयें भारतीय मुद्रा जैसें दिखनें वाली डमी करेंसी जिन पर मनोरंजन बैक का खजाना 0AA000000 समान अंकित होकर मन् निरीक्षक पुलिस के लघु हस्ताक्षर कर रखे को जिस अखबार में पूर्व में लपेटकर रखे हुए थे उस अखबार पर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर पुनः अखबार में लपेट कर कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त थैली को शील्ड मोहर कर कब्जा ब्यूरो लिया गया।

इसी दरम्यान वक्त 09.25 पी.एम. पर श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण मय हमराह ब्यूरो टीम के दस्तयाब शुदा आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर को लेकर कार्यवाही स्थल पुलिस थाना भगत की कोठी उपस्थित आये। जिस पर आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर द्वारा मन् निरीक्षक पुलिस मनीष वैष्णव द्वारा अपना व स्वतन्त्र गवाहान का परिचय देकर उनसे पुछा तो उसने अपना नाम श्री राजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री जीवनराम जाति गुर्जर उम्र 38 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 6ए/167 के.के. कॉलोनी बासनी जोधपुर

हाल वेलफेयर इन्सपेक्टर, कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक जोधपुर होना बताया। तत्पश्चात् श्री अमराराम निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण मय हमराह ब्यूरो टीम को उच्च अफसरान् के निर्देशानुसार आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर के रहवासीय मकान की खाना तलाशी लेने हेतु रूखस्त किया गया। तत्पश्चात् जिस पर श्री राजेन्द्र गुर्जर को पास ही खड़े परिवादी के तरफ ईशारा कर पुछा गया कि आप इस व्यक्ति को जानते हो तथा इसका कौनसा कार्य करवाने की ऐवज में राशि की मांग कर तय राशि श्री नन्दकिशोर को दिलाने हेतु कहा तो श्री राजेन्द्र गुंर्जर ने कहा कि मैं इन्हें जानता हूँ यह श्री हरेन्द्र गुर्जर तकनीशियन डीजल शेड भगत की कोठी है मैंने इनसे कोई राशि की मांग नहीं की नहीं किसी को दिलाई है। जिस पर पास ही खड़े परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर स्वतः ही आरोपी के उक्त कथन का खण्डन करते हुए बताया कि राजेन्द्र जी झूठ बोल रहे है। यह दिनांक 05.08.2022 को मेरे घर आये थे तथा मेरी मेडीकल बोर्ड की अनुशंसा पर अन्य श्रेणी की ड्यूटी परिवर्तन करने की पत्रावली जो कार्मिक अधिकारी के पास विचाराधीन में कार्य करवाने एवं फाईल को आगे बढाने की ऐवज में 5,00000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। रिश्वति राशि नहीं देने पर चतुर्थ श्रेणी का कार्य करवाने की धमकी दी थी। जिस पर मेरे पास उक्त राशि की व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं इनको रिश्वत राशि नहीं दे सका। दिनांक 10.08.2022 को मेरे कार्य के लिये मैं श्री राजेन्द्र गुंर्जर से मिला एवं कुछ राशि कम करने की विनती की तो श्री राजेन्द्र गुंर्जर 2,50000/–रूपये लेने के लिए सहमत हुआ तथा उक्त राशि श्री नन्दकिशोर टेक्नीशियन (केन जमादार) को देने को कहा। आज दिनांक 21.09.2022 को आप द्वारा मेरे मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर कर मेरे मोबाईल नम्बर 9602840387 से आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल नं. 7976247687 वार्ता करवाई वार्ता के दौरान श्री नन्दकिशोर ने मेरे जायज काम श्रेणी परिवर्तन पत्रावली आगे बढाने की ऐवज में 3,50,000/–रूपयें रिश्वत राशि की मांग की उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। तत्पश्चात् श्री नन्दकिशोर ने वक्त 06.11 पी.एम. पर परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल पर कॉल किया लेकिन श्री हरेन्द्र गुर्जर द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। वक्त 06.12 पी.एम परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के मोबाईल नम्बर 9602840387 का स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल नं. 7976247687 पर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री नन्दकिशोर द्वारा राशि लेकर 7th सेक्टर गन्दे नाले एवं रेल्वे ट्रेक के पास बुलाया। वहां पर श्री नन्दकिशोर ने मेरे से उक्त राशि 3,35,000/–रूपये (35 हजार रूपये भारतीय मुद्रा एवं 300000 डमी करेन्सी) प्राप्त करने पर मेरे द्वारा कहने श्री नन्दकिशोर ने अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन वार्ता करवाई तो श्री राजेन्द्र गुर्जर ने नन्दकिशोर को मेरे से प्राप्त रिश्वति राशि अपने पास रखने तथा कल स्वयं आकर रिश्वति राशि प्राप्त करने की वार्ता की उक्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। जिस पर आरोपी श्री नन्दकिशोर को पुछा गया कि आपने जो राशि 3,35,000/–रूपये (35 हजार रूपये भारतीय मुद्रा एवं 300000 डमी करेन्सी) श्री हरेन्द्र गुर्जर से प्राप्त की है यह राशि किस बात की है किसके लिये है जिस पर श्री नन्दकिशोर रूबरू मौतबिरान आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर की तरफ ईशारा कर बताया कि मैंने उक्त राशि श्री हरेन्द्र गुर्जर के मेडीकल बोर्ड की अनुशंसा पर कार्य श्रेणी परिवर्तन कराने की पत्रावली आगे बढाने एवं कार्य करवाने की ऐवज में श्री राजेन्द्र गुर्जर के वेलफेयर इन्सपेक्टर के कहेनुसार प्राप्त किये है। जो राशि श्री राजेन्द्र गुर्जर के लिये ही है तथा इन्ही को देनी है मेरा इसमें कुछ नहीं है। जिसके बारे में आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर से पुनः पुछने पर निरूत्तर रहा।

तत्पश्चात आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर, वेलफेयर इन्सपेक्टर कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक, जोधपुर की जामा तलाशी गवाह श्री प्रतीक शर्मा से लिवाई गई आरोपी की पहने हुए शर्ट के उपर की जेब में एक मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी का ड्यूल सिम जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 865447046600471 2. 865447046600489 जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 8209025404 एवं दूसरी सिम बीएसएनएल कम्पनी जिसके नम्बर 9462617007 होना पाई पाया गया। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया तथा इसके अलावा एक पर्स मिला जिसमे रखी नगद राशि 440/–रूपये एवं विभागीय परिचय पत्र मिला। नगद मिली राशि के बारे में पुछने पर अपने खर्चे के लिये अपने पास रखना बताया। आरोपी का उक्त जवाब संतोषप्रद होने से नगद राशि व पर्स एवं विभागीय परिचय पत्र पुनः आरोपी को लौटाया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के पास कोई संदिग्ध राशि, दस्तावेज नहीं मिले, ना ही कब्जा ब्यूरो लिये गये।

आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर से परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर के पैण्डिंग कार्य की पत्रावली के बारे में पुछने पर उसने बताया मुझे जानकारी नहीं है। उक्त पत्रावली आईन्दा जरिये जब्ती पृथक से ली जायेगी।

तत्पश्चात आरोपी श्री नन्दकिशोर टेक्नीशियन (केन जमादार) डीजल शेड भगत की कोठी जोधपुर की जामा तलाशी गवाह श्री रमेशचन्द्र से लिवाई गई तो आरोपी की पहने हुए हाफ पेन्ट की बाई जेब में विवो

कम्पनी का एक मोबाईल फोन जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 866247043081173 2. 866247043081165 जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 9252543733 एवं दूसरी सिम जीओ कम्पनी जिसके नम्बर 7976247687 होना पाई पाया गयी। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया तथा इसके अलावा इसके अतिरिक्त आरोपी के पास कोई संदिग्ध राशि, दस्तावेज नहीं मिले, ना ही कब्जा ब्यूरो लिये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एवं हाथ धोवन पृथक से मुर्तिब की की गई। दिनांक 22.09.2022 को वक्त वक्त 12.15 ए.एम. पर श्री राजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री जीवनराम जाति गुर्जर उम्र 38 वर्ष पेशा नौकरी निवासी 6ए/167 के.के. कॉलोनी बासनी जोधपुर हाल वेलफेयर इन्सपेक्टर, कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक जोधपुर एवं वक्त 12.30 ए.एम. पर श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 52 वर्ष पेशा नौकरी निवासी देवनारायण मन्दिर के पीछे प्लाट नं. 41 द्वितीय गली भगत की कोठी जोधपुर हाल टेक्नीशियन (केन जमादार) रेलवे डीजल शेड, भगत की कोठी जोधपुर को हर दोनो मुलजिमानों को जुर्म से आगह कर जरिये पृथक पृथक फर्दात गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रतीक शर्मा एवं श्री रमेशचन्द को प्रातः 08.00 ए.एम पर ब्यूरो चौकी में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखस्त किया गया। ताबाद मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहयान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपीगण श्री राजेन्द्र गुर्जर एवं श्री नन्दकिशोर के फर्दातानुसार मालखाना आईटम एवं रिश्वति राशि एवं ट्रेप सामग्री को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहन के राजकीय सैटेलाईट अस्पताल पावटा जोधपुर पहुंचा जहां आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु तहरीर दी जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस, समस्त हमराहयान मय गिरफ्तार शुदा दोनो मुलजिमानों को साथ लेकर पुलिस थाना उदयमन्दिर पहुंचा जहां पर दोनों मुलजिमानों को पुलिस थाना के सुरक्षित हवालात में जमा करवाकर जाब्ते की निगरानी मामुर कर ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा एवं फर्दातनुसार प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल, आरोपी श्री नन्दकिशोर के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल. एच. 2, रिश्वति राशि 35,000/–रूपये कपड़े के टुकड़े में शील्ड चिट शुदा, डमी राशि 3 लाख रूपये का शील्डशुदा पैकेट मय आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर का एक मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी का ड्यूल सिम जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 865447046600471 2. 865447046600489 जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 8209025404 एवं दूसरी सिम बीएसएनएल कम्पनी जिसके नम्बर 9462617007 आरोपी श्री नन्दकिशोर का विवो कम्पनी का एक मोबाईल फोन जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 866247043081173 2. 866247043081165 जिसमें एक जीओ कम्पनी की सिम नम्बर 9252543733 एवं दूसरी सिम जीओ कम्पनी जिसके नम्बर 7976247687 जो खुली हालात में, इत्यादि मुताबिक फर्द समस्त मालखाना आर्टिकल मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. नं. 63 को सुरक्षित सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस के कब्जे में सुरक्षित रखा गया। वक्त 08.55 ए.एम. पर पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर व स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रतीक शर्मा एवं श्री रमेशचन्द्र कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 10.08.2022 को परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर एवं आरोपी श्री राजेन्द गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन हुई मोबाईल एवं रूबरू वार्तालाप तथा दिनांक 14.09.2022 परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर एवं आरोपी श्री नन्दकिशोर टेक्नीशियन के मध्य हुई मोबाईल पर दो बार वार्ता एवं दिनांक 15.09.2022 को परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर एवं आरोपी श्री नन्दकिशोर टेक्नीशियन के मध्य मोबाईल पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीलट वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ताओं को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री देवाराम कानि. नं. 373 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं अपनी व आरोपीगणों के आवाज की पहचान परिवादी स्वयं द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चार सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तीन सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त चारो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। इसके बाद परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में दिनांक 21.09.2022 को परिवादी श्री हरेन्द्र

गुर्जर एवं श्री नन्दकिशोर टेक्नीशियन के मध्य वक्त रिश्वति राशि लेन देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता एवं वक्त रिश्वति राशि लेन–देन परिवादी हरेन्द्र गुर्जर व आरोपी श्री नन्दकिशोर के मध्य हुई रूबरू एवं रिश्वति राशि प्राप्त करने के पश्चात आरोपी श्री नन्दकिशोर के मोबाईल से आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर जो वार्ताएं कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीलट वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ताओं को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री देवाराम कानि. नं. 373 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं अपनी व आरोपीगणों के आवाज की पहचान परिवादी स्वयं द्वारा की गई। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चार सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मुल मानते हुए कपड़े थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तीन सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। उक्त चारो सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर को साथ लेकर न्यू पॉवर हाउस रोड़ 7जी सेक्टर, नन्द नाले के पास पहुंचा जहां पर रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर की निशादेही पर वक्त 03.15 पी.एम. पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब किया गया। ताबाद ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस हमराह दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं परिवादी के घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब कर ब्यूरो कार्यालय हाजिर आया। तत्पश्चात् बाद कार्यवाही परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर एवं दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री प्रतीक शर्मा एवं श्री रमेशचन्द्र को कार्यालय से रूखस्त किया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (वेलफेयर इन्सपेक्टर) कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक जोधपुर के द्वारा परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री देवाराम जी उम्र 33 वर्ष निवासी 37 रामदेव चौक भगत की कोठी जोधपुर हाल तकनीकीशियन थर्ड/इलेक्ट्रीशियन डीजल शेड भगत की कोठी से उनकी मेडिकल बोर्ड की अनुंशसा पर कार्य श्रेणी परिवर्तन कराने की पत्रावली आगे बढाने का कार्य कराने के एवज में 5,00000/–रूपये रिश्वति राशि मांगना, वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन दिनांक 10.08.2022 को 2,50,000/–रूपये श्री नन्दकिशोर वरिष्ठ तकनीशियन के मार्फत लेने के लिये सहमत होना मगर उस वक्त परिवादी के पास पैसों की व्यवस्था नहीं हो के कारण दिनांक 30.08.2022 को परिवादी को तकनीकीशियन थर्ड/इलेक्ट्रीशियन से हेल्पर के पद में पदावनत आदेश करवाना तत्पश्चात् आरोपी दलाल श्री नन्दकिशोर द्वारा परिवादी से उसके उपरोक्त कार्य की ऐवज में रेट बढ जाने का कहकर 3,50,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग करना जिस पर दिनांक 21.09.2022 को परिवादी से 35,000/–रूपये भारतीय मुद्रा के नोट एवं 3,00000/–रूपये डमी करेन्सी के नोट कुल राशि 3,35,000/–रूपये प्राप्त करना। जो राशि ब्यूरो टीम को देखकर रोड़ पर फेंकना, जहां से ब्यूरो द्वारा बरामद करना, आरोपी श्री नन्दकिशोर द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर जरिये मोबाईल वार्ता कर राशि प्राप्त होने की बात बताने पर आरोपी श्री राजेन्द्र गुर्जर द्वारा बाद में आकर प्राप्त करने की बात कहना, तत्पश्चात् आरोपी श्री नन्दकिशोर के हाथों को विधिवत धोवन लेने कमशः बाये व दाये हाथ का धोवन का रंग हल्का गुलाबी एवं गुलाबी रंग आना आदि आरोपियों का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा. द.सं. का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री राजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री जीवनराम जाति गुर्जर उम्र 38 साल पेशा नौकरी निवासी 6ए/167 के. के कॉलोनी बासनी जोधपुर हाल कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (वेलफेयर इन्सपेक्टर) कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक जोधपुर एवं श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति गुर्जर उम्र 52 साल पेशा नौकरी निवासी देवनारायण मन्दिर के पीछे प्लाट न.41 द्वितिय गली भगत की कोठी जोधपुर हाल वरिष्ठ तकनीशियन (क्रेन जमादार) डीजल शेड, भगत की कोठी जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित है।

(मनीष वैष्णव)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 में आरोपीगण 1. श्री राजेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री जीवनराम, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (वेलफेयर इंस्पेक्टर) कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक, जोधपुर एवं 2. श्री नन्दकिशोर पुत्र रामचन्द्र, वरिष्ठ तकनीशियन (केन जमादार) रेल्वे डीजल शेड, भगत की कोठी, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 379/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:- 3290-94 दिनांक 22.09.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. वरिष्ठ मण्डल, कार्मिक अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

22.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।